

SHRI A.O. KULKARNI (Mahwhira): Madam, I associate myself with what Mr. Jadhav has said. It is to/al injustice done to the State of Maharashtra.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : Madam, I was assured in this House that after meeting the requirements of the Slate of Maharashtra, gas would b-3 made available to the other States. This was the assurance given to me in this House. But I am seeing that Maharashtra is being given a stepmotherly treatment by-the Cen- | tral Government. These two regions. Vidarbha and Marathwada, are economically the most backawrd regions. Therefore, I would request the Central Go> ernment—I am not saying that everjrthinj should be given to Maharashtra—that at least a fair proportion of the gas should be given to Maharashtra. There are many industries in Maharashtra which do not get even the minimum energy . These two plants are very essential. I associate myself with what Mr. Jadhav has said. The Government of India must give Maharashtra its due share of gas and this stepmotherly attitude towards the State should be discarded by the Central Government

SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI (Maharashtra): I also associate myself wi h this.

Need to Improve workirs comons of workers engaged In Stole Industry I Gujarat

श्री मीर्जा हर्शाब बेग (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदय, प्रति वर्ष गुजरात का पत्थर उद्योग 4 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की आय करता है। यह उद्योग गुजरात के खम्भात में स्थित है। इसमें 13 हजार से अधिक मजदूर दिन-रात अपना पसीना बहाकर एक एक पत्थर को तराशकर सुन्दर वस्तुएं तैयार करते हैं। किन्तु ग्रन्थ क्षेत्रों को अपेक्षा इस क्षेत्र

में कारीगरों और मजदूरों की हानत अत्यंत गंभीर है तथा दयनीय है। इस संबंध में मजदूरों की आर्थिक तथा शारीरिक स्थिति की जांच करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने एक जांच समिति गठित की थी। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि पत्थर तोड़ने वालों के फेफड़े अत्यंत कमजोर हो जाते हैं और वे सिलिकॉसिस की भयंकर और घातक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे एक क्षेत्र की जांच भी नोट की गई जिसमें ख्खसावा नामक एक 30 वर्षीय युवती के पति की मृत्यु भी सिलिकॉसिस रोग से हुई।

महोदय, इसके लिए पांच हजार रुपए की एक मशीन भी नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा तैमित हो चुकी है। इस ऐक्जैस्ट मशीन से मरिक्क और फेफड़ों में धुसने वाले बालू को बाहर फेंक दिया जाता है जिससे नुकसान की मात्रा कम की जा सकती है। लेकिन इस मशीन को भी फैक्टरी में नहीं लगाया गया है।

महोदय, इस स्थिति से पैदा होने वाले रोगों जैसे अंधेपन को रोकने के लिए भी कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया है। राज्य सरकार तथा व्यापारियों को मिलकर इसके लिए एक मजदूर कल्याण निधि की स्थापना करनी चाहिए। समय समय पर वहां के मजदूरों को शारीरिक जांच का तंत्र खड़ा करना चाहिए और मजदूर अपने स्वास्थ्य एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे संगठनों का सृजन करेंगे तो उनकी समस्या हल हो सकती है। लेकिन उस दिशा में भी कोई कार्रवाई हाई कोर्ट

के आदेश के बाव भी नहीं की गई और मजदूरों की परिस्थिति गंभीर से गंभीर होती जा रही है।

मान्यवर, हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि वहाँ के जो मजदूर और कारीगर काम करते हैं न तो इनको पूरी मजदूरी मिलती है न उनको उसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं। ऐसे मजदूरों के लिए वहाँ पर सहकारिता के सुजन के लिए सरकार से अनुरोध किया था। सहकारिता तो उसके अंदर बनायी गयी लेकिन जो उसका सही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट की समिति ने जो तय किया था वह काम भी नहीं हो रहा है। जो थोड़ा बहुत पैसा दिया गया है वह पैसा भी खूब गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि व कारीगर जो देश को कला की विदेशों तक ले गये हैं, भारतीय संस्कृति का प्रचलन विदेशों तक जिन्होंने पहुँचाया है, जो मजदूर अपनी कला से पत्थरों को बड़े सुन्दर ढंग से तराशते हैं उनके कल्याण के लिए कोई काम नहीं होता है, अंतः समग्र में उन बेचारे मजदूरों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। कारीगरों का जो शारीरिक अवस्था है, आर्थिक अवस्था है उसको अगर सुधारा नहीं जायेगा तो मैं समझता हूँ यह कला का नष्ट कर देगा। ऐसे कारीगरों का सहो मान में उचित राजा मिलना चाहिए जो उनका नहीं मिलती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सहो अर्थ में उनके कल्याण के लिए सांचा जाये। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का भी मजदूर विभाग है वह इनकी जो आर्थिक अवस्था है, शारीरिक अवस्था है

उनको सही ढंग से बना सकता है इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार अपने विचार तत्काल प्रस्तुत करे।

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat) : Madam, while associating myself with the sentiments expressed by my hon. col league I would only like to mention that from the very beginning I v, as associated with this scheme in Cambay. Stone b brought from Barooch district in Scut' Gujarat, but the piece where the artisans live is Cambay in Kalra district. The hon High Court of Gujarat had issued -a directive to the State Government that a scheme should be formulated for graphite stone workers. I was associated beause most of the workers belong 10 the minority community and the Chairman of the Minority Commission had taken interest. Unfortunately, there is no monitoring either by the banks which had to give loan to these workers after they formed a ccopirntive society, or by the Stats Government, particularly the Labour Department. I would, therefore, request that a proper scheme as envisaged by the Gujarat High Court be formulated for these workers.

श्री रामसिंह राठवा (गुजरात) : श्री इशवि भाई ने जिस बात की ओर इस सभा का ध्यान दिलाया है उनके साथ मैं अपनी भावनाओं को भी एसो-शिएट करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार तुरन्त ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद।

श्री नरेश सी० पुनजिया (महाराष्ट्र) : उपसमं.पति महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य इशवि भाई ने जो स्पेशल मेशन के माध्यम से गुजरात में काम करने वाले 13 हजार कारीगर जो हैं, जो पत्थरों को तराशकर सुन्दर मूर्तियाँ बनाते हैं और हिन्दुस्तान में नहीं हिन्दुस्तान

[श्री नरेश सी. पुगलिया]

के बाहर भी भेज रहे हैं ऐसे कामगारों की जो हालत हो रही है उसको तरफ और हाई कोर्ट की एक समिति बनने के बावजूद वहाँ को राज्य सरकार ने उसको इम्प्लोमेंट नहीं किया, यह एक गम्भीर मामला है, इसके लिए केन्द्रीय सरकार के मजदूर मंत्री से विवेदन कराया जाएगा कि इस बात को सीटिसिजों लें और हाई कोर्ट समिति ने जो पिण्ड दी है उसपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। हम मांग करते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और वहाँ के कामगारों को अरुण निर्णय दिलायें।

Violation of Government's Orders by the Provident Fund Organisation

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, भविष्य निधि संगठन में सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमानी से शासन के आदेश की धीर अवहेलना हो रही है इस ओर इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

भविष्य निधि संगठन में अफसरों की मनमानी का आरोप प्रायः लगाया जाता रहा है। अखिल भारतीय एम्प्लोइज प्रोविडेंट फंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति स्टाफ महासंघ ने भविष्य निधि संगठन में अफसरों की मनमानी और सरकारी आदेशों की परवाह न करने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इससे जन का अहित हो रहा है। उन्होंने जो सरकारी आदेश हैं, उनका पालन न करने के लिए श्रम मंत्री का ध्यान आकषित किया है और वे उससे मिले भी हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर इन सरकारी कर्मचारियों के भविष्य

निधि संगठन के अफसरों को गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो निश्चित रूप से कर्मचारियों में असंतोष फैलेगा। हमारे सरकार को नीति है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उन्हें नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाये और उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें। लेकिन होता यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश का इनेक्विसेंटो बॉर्डर हो, चाहे देश का भविष्य निधि संगठन हो, आदेश तो होते हैं, सरकूलर भी निकलते हैं, लेकिन जब उनके कार्यान्वयन का प्रश्न आता है तो उनकी धीर उपेक्षा की जाती है। इसी राष्ट्रीय भविष्य निधि संगठन के महासंघ के जो श्री फोह सिंह महोदय हैं उन्होंने भविष्य निधि के केन्द्रीय आयुक्त पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों से दिल्ली के क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय को मुख्य लिपिक, सहायक लेखा अधिकारी तथा भविष्य निधि निरीक्षकों के नए पद नहीं दिये हैं, जितके न दिये जाने से कर्मचारियों की अप्रिम पदोन्नति नहीं हो पाई है और 15-15 वर्ष से वे एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं जब कि सरकार के इस संबंध में क्लियरकट आर्डर हैं। ये नये पद न दिये जाने के कारण कर्मचारियों की जो प्रमोशन है वह रुकी हुई है। इनमें अधिकतर गरीब और निम्न वर्ग के लोग हैं। इसलिए उन्हें आर्थिक दृष्टि से बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। इस स्पेशल मेशन के माध्यम से मैं यह चाहता हूँ कि श्रम मंत्रालय भविष्य निधि संगठन के अफसरों की जो मनमानी है उसकी जांच कराई जाये। इसके लिए एक उद्घाटन भी देना